न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(रामचंरन शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 43/2019
जीसीएमएस न0:– 2019/00109
दायर दिनांक :– 05–07–2019
निर्णय दिनांक:– 26–08–2022

अनवान

1. श्री सुरेशचन्द्र पिता स्व. श्री हीरालाल पिपाडा जैन, पेशा व्यापार एवं कृषि निवासी कुंवारिया तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द हॉल निवासी वसायी जिला पालघर (महाराष्ट्र)

———अपीलांट

बनाम

1. श्री नाथूलाल पिता श्री राजमल गुरू, निवासी कुंवारिया, त0 कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. श्री अम्बालाल पिता श्री राजमल गुरू, निवासी कुंवारिया, त0 कुंवारिया जिला राजसमन्द
3. श्री गणेशलाल पिता श्री हीरालाल पिपाडा, निवासी कुंवारिया, त0 कुंवारिया जिला राजसमन्द (फौत)
   1. अर्जुन पिता स्व0 गणेशलाल आयु 62 वर्ष निवासी कुंवारिया, जिला राजसमन्द
   2. अनिल कुमार पिता स्व0 गणेशलाल आयु 58 वर्ष नि0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द
   3. रमेश चन्द्र पिता स्व0 गणेशलाल आयु 55 वर्ष नि0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द
   4. नवरत्न पिता स्व0 गणेशलाल आयु 51 वर्ष नि0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द
   5. विनोद पिता स्व0 गणेशलाल आयु 48 वर्ष नि0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द
   6. श्रीमती संतोष पत्नि स्व0 गणेशलाल आयु 78 वर्ष नि0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द
4. श्रीमती मनीषा पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पिपाडा, पत्नि मनोज पामेचा, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द हाल निवासी विवेक अपार्टमेंट, ए–1/302, स्टेशन रोड, शान्ताकुंज मुम्बई–400054।
5. श्रीमती ज्योती पिता स्व. श्री मोतीलाल पिपाडा पत्नी श्री फतहलाल वडाला, निवासी संचागली, देवगढ वारिया जिला दाहोद(गुजरात)
6. श्रीमती पायल पुत्री श्री मोतीलाल पिपाडा, पत्नि श्री राहुल जैन, निवासी राजमल रोड, फंवारा चौक के पास, पोस्ट लूणावाडा (गुजरात)।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

7. श्रीमती अंकिता पुत्री श्री स्व. श्री मोतीलाल पिपाडा, पत्नि श्री राहुल जैन, निवासी राजमल रोड, फंवारा चौक के पास, पोस्ट लूणावाडा (गुजरात)।
8. श्री पवन कुमार पिता श्री मोतीलाल पिपाडा, निवासी राजमल रोड, फंवारा चौक के पास, पोस्ट लूणावाडा (गुजरात)।
9. श्री महावीर पिता श्री मोतीलाल पिपाडा, निवासी राजमल रोड, फंवारा चौक के पास, पोस्ट लूणावाडा (गुजरात)।
10. श्री दिनेश पिता श्री हीरालाल पिपाडा, निवासी वैशाली साडी,गणपति मन्दिर के पास, पोस्ट लूणावाडा (गुजरात)
11. श्रीमती राजदेवी पुत्री स्व. श्री हीरालाल पिपाडा, पत्नि श्री सोहनलाल सुराणा, निवासी मार्फत श्री जी ऑटो पार्टस, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
12. श्रीमती कोयल देवी पुत्री स्व. श्री हीरालाल पिपाडा, पत्नि श्री लक्ष्मीलाल भालावत, निवासी रायपुर, जिला भीलवाडा
13. श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री श्री हीरालाल पिपाडा, पत्नि श्री हस्तीमल धींग, निवासी सदर बाजार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द।

———रेस्पोडेण्ट

<u>अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 573 फैसल दिनांक 01.07.1965</u>

उपस्थित :—

1— श्री, दिग्विजय सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनिल कुमार बागौरा, राजकीय अधिवक्ता
3— श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता (रेस्पो0 संख्या 2)
4— श्री राजेश पालीवाल, अधिववक्ता (रेस्पो0 संख्या 3 से 13)

—:: निर्णय ::—

निर्णय दिनांक 26.08.2022

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के निर्णय दिनांक 05.02.2019 के द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के निर्णय दिनांक 03.08.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पक्षकारान की सुनवाई कर निस्तारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर से अपील रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन—

अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

P.T.O.

किया कि मौजा कुंवारिया तहसील राजसमन्द के खाता संख्या 1477 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के श्री हीरालाल तन्हा मालिक काबिज होकर उनके कब्जे आधिपत्य एवं उपभोग कर रहे है। हीरालाल का स्वर्गवास दिनांक 11.05.1987 को हो गया, परन्तु उक्त भूमि पर दिनांक 11.05.1987 तक हीरालाल का कब्जा व उसके बाद उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। साबिक आराजी नम्बर के हाल आराजी नंबर 3379 बने है। कथित जमीन को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी राजमल पिता पन्नालाल ने कपटपूर्वक अपने नाम पर दर्ज करा ली जबकि उक्त जमीन से उनका कोई संबंध नहीं हैं, न कब्जा है। कोई भी म्यूटेशन केवल ट्रांसफर, सक्सेशन कोर्ट के आदेश के आधार पर ही म्यूटेशन भरकर स्वीकृत किया जा सकता है। जमीन पर कब्जा अपीलान्ट का होते हुए भी कब्जे कि रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता के हक में करते हुए कथित म्युटेशन कब्जा कह कर स्वीकृत कर लिया गया वह एबनिशियोवोईड होकर बिना अधिकार के है तथा ऐसे म्युटेशन को निरस्त करने के लिये मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है तथा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के निर्णय दिनांक 05.02.2019 के द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के निर्णय दिनांक 03.08.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पक्षकारान की सुनबाई कर निस्तारित करने हेतू रिमाण्ड किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 01.07.1965 को निरस्त करा वादग्रस्त जमीन अपीलान्ट के नाम आदेश प्रदान कराया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित नामान्तरण संख्या 573 में वर्णित भूमि संवत 1934 में जरिये वचन पत्र (पट्टे) से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वजों को ठिकाने से प्राप्त हुई। संवत् 1934 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वजों को उक्त भूमि प्राप्त होने के बाद एवं सन् 1955 से उनके उपयोग उपभोग कब्जा काश्त की होने से उक्त वचन पत्र (पट्टा) व सन् 1955 से पूर्व का कब्जा होने के आधार पर नामान्तरण संख्या 573 रेस्पोडेन्टस के पिताजी राजमल गुरुजी के नाम स्वीकृत किया गया, जिसका विस्तृत उल्लेख उक्त नामान्तकरण की कॉलम संख्या 14 व 15 में किया गया है। विवादित इन्तकाल की जानकारी अपीलान्ट को 51 वर्ष बाद कैसे व किस माध्यम से हुई अस्पष्ट है, इस कारण अपील खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट ने विवादित इन्तकाल की 51 वर्ष बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है उक्त असाधारण विलम्ब (इच डे डिले) एवं (डे टु डे डिले) का स्पष्टीकरण नही किया गया अपील अपीलान्ट पूर्णत काल बाधित होने से खारीज होने योग्य है।

1. 1986 आर.आर.डी पेज नम्बर 22
2. 1999(1) डब्लु.एल.सी. (राज) 486
3. एआईआर 1993 देल्ही पेज 132
4. एआईआर 1998 एससी पेज 2276

अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधि0 में जो देरी के आधार वर्णित किये वो गलत व मिथ्या वर्णित किये। अपीलान्ट ने उक्त अपील 51 वर्ष बाद असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की जिसका कोई उचित व सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

P.T.O.

किया अपीलान्ट सहानुभूमि के आधार पर अब असाधारण विलम्ब का उपशमन नहीं किया जा सकता है।

1. 2007 (2) आर.आर.टी. 939

अपीलान्ट ने उक्त अपील असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है। जो पुर्णतः मयाद बाहर है इसी आधार पर पूर्व में माननीय जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द द्वारा दिनांक 03.08.2017 को विलम्ब के बिन्दु पर सुनते हुए खारीज फरमाई गई है। विधि सिद्धान्त है कि अपीलीय स्तर पर अपील असाधारण विलम्ब से पेश हुई हो तो सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को डिसाईड करना आवश्यक है। नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसमें पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है एसी स्थिति में अपीलान्ट को अपने स्वत्व व खातेदारी अधिकार के लिये सक्षम न्यायालय स्वत्व घोषणा का नियमित वाद प्रस्तुत करने का विकल्प खुला हुआ है।

विवादित इन्तकाल में वर्णित कृषि भूमि तत्कालिन ठिकाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दादाजी स्व0 श्री गुलाबचन्द को पट्टे से प्राप्त हुई थी। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारीज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 03.08.2017 के, दृष्टिगत अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 573 स्वीकृत दिनांक 01.07.1965 के विरूद्ध अपील लगभग 51 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है, तथा विलम्ब की अवधि का कोई स्पष्ट समुचित् कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त नामान्तरकरण लगभग 56 वर्ष पुराना होकर प्रकरणाधीन भूमि की उक्त लम्बी अवधि में वास्तविक स्थिति में भी परिवर्तन अवश्यभांवी है, जिससे अनावश्यक कानुनी पेचिदगिंया व विवाद बढने की प्रबल सम्भावनाए है, साथ ही अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा आधिपत्य होने के संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपिलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.08..2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

26/8/2022

(रामचरन शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द